माननीय निर्मलजीत कौर, न्यायमूर्ति के समक्ष.

भारतीय मानक ब्यूरो-याचिकाकर्ता

बनाम

विजय सिंह और अन्य, -प्रतिवादी

सी.आर.एल. 2008 का संशोधन क्रमांक 2254

29 अप्रैल 2011

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401 एवं 482—ब्यूरो भारतीय मानक अधिनियम, 1986—धारा 11 और 33-उत्तरदाताओं के लाइसेंस की समाप्ति-आईएस/मार्क के साथ बिक्री के लिए लेख तैयार करने के लिए - आवेदन करने वाले उत्तरदाता समाप्ति तिथि से पहले लाइसेंस का नवीनीकरण - आईएसआई के साथ खाली जार की जब्ती मानक चिह्न- अपने आप में आईएसआई मानक चिह्न के स्टिकर वाले खाली जार 1986 अधिनियम की धारा 11 के तहत अपराध नहीं हो सकता क्योंकि उक्त खाली जार या तो हो सकते हैं अंतिम खेप/आदेश या अगले के लिए बचा हुआ.
खेप/आदेश—याचिका खारिज।
माना गया कि उत्तरदाताओं के पास वैध लाइसेंस था जो समाप्त हो चुका है। हालाँकि, पहले इसकी समाप्ति के बाद, उत्तरदाताओं ने इसके नवीनीकरण के लिए पहले ही नए सिरे से आवेदन कर दिया था। ऐसा नहीं है अभियोजन पक्ष का कहना है कि प्रतिवादी फर्म ने पहली बार लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इस प्रकार, यह एक चालू व्यवसाय था. प्रतिवादी-फर्म नवीनीकरण के आने का इंतजार कर रही थी। ऐसे में आईएसआई मानक मार्क के स्टीकर लगे खाली जार अपने आप में अपराध नहीं हो सकते.
भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 11 के स्टीकर वाले उक्त खाली जार के रूप में आईएसआई मार्क या तो अंतिम खेप/ऑर्डर के लिए छोड़ा जा सकता है या बाद के लिए छोड़ा जा सकता है खेप/आदेश जो अपेक्षित होने के बाद भी उत्तरदाताओं द्वारा अभी तक पेश या स्वीकार नहीं किया गया है लाइसेंस का नवीनीकरण. उक्त मामले में शिकायत में कुछ तथ्य हो सकते हैं सीलबंद जार बरामद किए गए जिनमें पीने का पानी था, जबकि तलाशी के अनुसार और जब्ती ज्ञापन के

अनुसार, परिसर से एकमात्र बरामदगी आईएसआई के स्टिकर वाले खाली जार हैं मानक चिह्न.

(पैरा 13)

श्री अनिल राठी, याचिकाकर्ता के वकील

श्री एन.एस. शेखावत/बीआर उत्तरदाता

<u>निर्णय</u>

माननीय निर्मलजीत कौर,न्यायमूर्ति:

यह सीआरपीसी की धारा 482 के साथ पठित धारा 401 के तहत एक याचिका है, जिसमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.07.2008 (पी3) और विद्वान द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2008 (पी4) को रद्द करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फ़रीदाबाद।

मामले के तथ्य, संक्षेप में, यह हैं कि याचिकाकर्ता-ब्यूरो ने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए आरोपी उत्तरदाताओं पर मुकदमा चलाने और दंडित करने के लिए धारा 11 के साथ पठित धारा 33 के तहत इस आधार पर शिकायत दर्ज की कि रिपोर्ट दिनांक 11.07.2007 को इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी 'आईएसआई' मार्क का दुरुपयोग कर रहे हैं और पैकेज्ड पेयजल का अवैध निर्माण और बिक्री भी कर रहे हैं। दिनांक 11.07.2007 की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 12.07.07 को प्रतिवादी अभियुक्तों के परिसर में तलाशी एवं जब्ती अभियान चलाया गया। तलाशी और जब्ती कार्रवाई के समय, जब्ती ज्ञापन दिनांक 12.07.2007 को टीम लीडर द्वारा तैयार किया गया था जिस पर आरोपी और आरोपी के अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ शिकायत के अन्य सभी टीम सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए, यह आरोप लगाया गया कि आरोपी-प्रतिवादी पैकेज्ड पीने के पानी के 20 लीटर जार पर अपने स्वयं के पते के साथ आईएसआई मार्क और सीएम/एल-9321469 स्टिकर का उपयोग कर रहे थे और इन स्टिकर को जार पर चिपकाया गया था। आरोपी इन जार पर शिकायतकर्ता से आईएसआई का लाइसेंस लिए बिना आईएसआई मार्क वाले स्टिकर का उपयोग कर रहा था। तदनुसार, मुख्य

न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद ने अपने आदेश दिनांक 31.08.2007 द्वारा आरोपी को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 33 के साथ पठित धारा 11 के तहत तलब किया। उपरोक्त उल्लिखित समन आदेश दिनांक 31.08.2007 से व्यथित होकर, उत्तरदाताओं ने फरीदाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के तहत एक आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया , जिसमें दावा किया गया कि अधिनियम की धारा 33 के साथ पठित धारा 11 के तहत आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। तदनुसार, शिकायत को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फ़रीदाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2008 द्वारा खारिज कर दिया गया था।

इसलिए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फ़रीदाबाद द्वारा पारित दिनांक 11.07.2008 के निर्णय और साथ ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फ़रीदाबाद द्वारा पारित दिनांक 22.07.2008 के निर्णय को वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा रही है।

निचली अदालत द्वारा पारित आदेश और फैसले को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 11 के प्रावधानों पर ठीक से विचार नहीं किया है , जिसमें सभी व्यक्तियों को प्रतिबंधित किया गया है। बिना लाइसेंस के मानक चिह्न में डिज़ाइन के किसी भी व्यापार चिह्न के उपयोग से। वर्तमान मामले में, 12.07.2007 को तलाशी और जब्ती के समय, उत्तरदाताओं को न केवल अपने उत्पाद का निर्माण करते हुए बल्कि लाइसेंस के साथ आईएसआई मार्क का उपयोग करते हुए भी पाया गया था, जिसे नवीनीकृत नहीं किया गया था और जो 10.11.2006 से निलंबित था। छापेमारी दल को न्यू एज एक्वा (पी) लिमिटेड, बड़खल फरीदाबाद द्वारा निर्मित आईएस 14543 सीएम/एल 9321469 के साथ आईएसआई मार्क वाले ब्रांड न्यू लाइफ के 20 लीटर के बोतलबंद पेयजल के जार मिले हैं। इसके साथ ही पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की खाली बोतलें, 20 लीटर के जार, आईएसआई मार्क के साथ लाइसेंस नंबर अंकित मिला, जो उस दिन अस्तित्व में नहीं था।

केरल राज्य बनाम ओरिसन जे. फ्रांसिस और ऐन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया गया था। एआईआर 2009 सुप्रीम कोर्ट 500 के रूप में रिपोर्ट की गई, जिसमें तर्क दिया गया कि बिना लाइसेंस के दवाओं के निर्माण की शिकायत को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि लाइसेंस देने के लिए आवेदन लंबित है और साथ ही लखवंत सिंह बनाम मामले में शीर्ष अदालत

द्वारा दिए गए फैसले पर भी। जसबीर सिंह और अन्य ने 2008 (4) आरसीआर (आपराधिक) 545 के रूप में रिपोर्ट करते हुए तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके एक वैध अभियोजन को रद्द नहीं किया जा सकता है।

दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने पुनरीक्षण का विरोध करते हुए कहा कि केवल तैयारी कानून के प्रावधानों के तहत दंडनीय नहीं है। दूसरे, बरामद किए गए जार खाली थे और इसलिए, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 11 के प्रावधानों को लागू नहीं करते हैं और अन्यथा भी, याचिकाकर्ता को पहले ही डिमांड ड्राफ्ट संख्या संख्या के माध्यम से 90,802/- रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी थी। 610433 और 610380 दिनांक 09.02.2007 और 21.02.2007, क्रमशः 01.03.2007 से 29.02.2008 की अवधि के लिए लाइसेंस संख्या सीएमआई-9321469 के लिए, जबकि कथित खोज 12.07.2007 को हुई थी।

सुना।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के साथ-साथ अभिलेख पर मौजूद दलीलों के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:-

ए) उत्तरदाताओं के पास उन वस्तुओं को तैयार करने के लिए 2004 के आईएस 14543 के अनुसार लाइसेंस नंबर सीएम/एल 932169 था, जिसे वे न्यू लाइफ के बीआईएस मार्क के साथ बेचते थे। उक्त लाइसेंस 28.02.2007 को समाप्त हो गया।

बी) लाइसेंस संख्या सीएमएल-9321469 के लिए क्रमशः डिमांड ड्राफ्ट संख्या 610433 और 610380 दिनांक 09.02.2007 और 21.02.2007 के माध्यम से 90,802/- रुपये की राशि उत्तरदाताओं द्वारा विधिवत भेजी गई थी और याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त की गई थी। 01.03.2007 से 29.02.2008 की अवधि के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण;

ग) उक्त लाइसेंस की समाप्ति की सूचना याचिकाकर्ता को केवल 13.04.2007 को दी गई थी।

घ) तलाशी और जब्ती के अनुसरण में, टीम ने उत्तरदाताओं के परिसर से केवल निम्नलिखित सामग्री जब्त की: -

i) आईएस 14543 के साथ जब्ती ज्ञापन के क्रमांक 1 पर दर्शाए अनुसार न्यू लाइफ ब्रांच के बीआईएस मानक चिह्न के साथ 20 लीटर के 2 खाली जार; सीएम/एल 9321469

ii) न्यू लाइफ ब्रांड के बीआईएस मानक चिह्न के साथ 20 लीटर के 8 खाली जार, जैसा कि जब्ती ज्ञापन के क्रम संख्या 2 में दर्शाया गया है।

पैरा 4(ii) में उल्लिखित वस्तुओं को सील करके आरोपी की फैक्ट्री में रखा गया था।

उपरोक्त वस्तुएं जो जब्ती ज्ञापन के माध्यम से जब्त की गईं, उन्हें विधिवत पैक किया गया और बीआईएस ब्रास सील के साथ सील कर दिया गया, जिस पर टीम लीडर द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए, यह स्पष्ट है कि बरामद 20 लीटर जार खाली थे। इस प्रकार, यह आरोप कि आरोपी प्रतिवादी पैक्ड पीने के पानी के 20 जार पर अपने स्वयं के पते के साथ आईएसआई मार्क और सीएम/एल 9321469 स्टिकर का उपयोग कर रहे थे और इन स्टिकर को जार पर चिपकाया गया था, न तो प्रमाणित है और न ही बनाया गया है।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 11 के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:-

धारा 11 :- कुछ मानदंडों आदि के उपयोग पर प्रतिबंध। (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु या प्रक्रिया के संबंध में, या किसी पेटेंट के शीर्षक में, या डिजाइन के किसी भी व्यापार चिह्न में मानक चिह्न या किसी रंगीन का उपयोग नहीं करेगा। लाइसेंस के तहत छोड़कर, उसकी नकल। (2) कोई भी व्यक्ति, भले ही उसे लाइसेंस दिया गया हो, किसी भी वस्तु या प्रक्रिया के संबंध में मानक चिह्न या उसकी किसी रंगीन नकल का उपयोग नहीं करेगा, जब तक कि ऐसी वस्तु या प्रक्रिया भारतीय मानक के अनुरूप न हो। ।"

अधिनियम की धारा 11 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिना लाइसेंस के आईएसआई मार्क का दुरुपयोग करने का अपराध केवल तभी आकर्षित होता है, जब इसका उपयोग वस्तुओं के निर्माण, निर्माण या बिक्री के लिए किया जाता है। वर्तमान मामले में लेख 'पीने का पानी' माना जाता है, जबकि एकमात्र बरामदगी 20 लीटर के खाली जार हैं।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क और साथ ही केरल राज्य बनाम ओरिसन जे फ्रांसिस और ऐन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव । एआईआर 2009 सुप्रीम कोर्ट 500 के रूप में रिपोर्ट किया गया, जिसमें यह माना गया है कि शिकायत को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि लाइसेंस के लिए आवेदन पहले ही दायर किया जा चुका है। हालाँकि, वर्तमान मामले में तथ्य, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अलग हैं और इसके अलावा यह अपने आप में अपराध नहीं बनता है।

वर्तमान मामले में, यह स्वीकार किया गया है कि उत्तरदाताओं के पास वैध लाइसेंस था जो समाप्त हो गया था। हालाँकि, इसकी समाप्ति से पहले ही, उत्तरदाताओं ने इसके नवीनीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन कर दिया था। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि प्रतिवादी फर्म ने पहली बार लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इस प्रकार, यह एक चालू व्यवसाय था। प्रतिवादी-फर्म नवीनीकरण के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। इस प्रकार, आईएसआई मानक चिह्न के स्टिकर वाले खाली जार अपने आप में उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत अपराध नहीं हो सकते हैं क्योंकि आईएसआई चिह्न के स्टिकर वाले उक्त खाली जार या तो अंतिम खेप/ऑर्डर के लिए या बाद के लिए छोड़े जा सकते हैं। खेप/आदेश जो लाइसेंस के अपेक्षित नवीनीकरण के बाद उत्तरदाताओं द्वारा अभी तक पेश या स्वीकार नहीं किया गया है। यदि उक्त सीलबंद जार पीने के पानी से भरे हुए बरामद किए गए थे, तो शिकायत में कुछ तथ्य हो सकते हैं, जबकि, माना जाता है कि तलाशी और जब्ती ज्ञापन के अनुसार, परिसर से प्रभावित एकमात्र बरामदगी है (i) 20 लीटर के 2 खाली जार आईएस 14543 के साथ जब्ती ज्ञापन के क्रमांक 1 पर दर्शाए अनुसार न्यू लाइफ ब्रांच के बीआईएस मानक चिह्न के साथ; सीएम/एल 9321469; और (ii) न्यू लाइफ ब्रांड के बीआईएस मानक चिह्न के साथ 20 लीटर के 8 खाली जार, जैसा कि जब्ती ज्ञापन के क्रम संख्या 2 में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, वर्तमान मामले के आरोप और तथ्य पूरी तरह से हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1991 (1) आरसीआर (सीआरएल) 383 के मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित मामलों की सूची की श्रेणी 1 के अंतर्गत आते हैं। जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए रद्द किया जा सकता है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें अंकित मूल्य पर लिया जाए और पूरी तरह से स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद द्वारा पारित तर्कसंगत आदेश दिनांक 11.07.2008 (पी 3) और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2008 (पी 4) में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, जिसके तहत , शिकायत खारिज कर दी गई है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को गुणहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हरिकिशन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा